

भारतीय रिज़र्व बैंक

शहरी बैंक विभाग

केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई

RESERVE BANK OF INDIA
URBAN BANKS DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE, BOMBAY

लाइसेंस सं. यूबीडी. आंध्र प्रदेश 1612 पी

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ग) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिरुमला को-ऑपरेटिव

अर्बन बैंक लि. हैदराबाद

को पत्रद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने और उसे चालू रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

(क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल निबंधक, सहकारी समितियाँ द्वारा

सम्यक रूपसे अनुमोदित उपविधियों में उल्लिखित कार्यक्षेत्र तक सीमित होगा।

(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपना कारोबार शुरू करने के दिन/लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

दिनांक : 28 जुलाई 1998

के. वि. सुब्बा राव
के. वि. सुब्बा राव
मुख्य अधिकारी
उप महाप्रबंधक

LICENCE No. UBD. AP 1612 P

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22 (1) read with Section 56 (o) of the Banking Regulation Act, 1949, Tirumala

Co-operative Urban Bank Ltd., Hyderabad


is hereby granted a licence to commence and carry on banking business, subject to the following conditions :

(a) The area of operations of the bank shall be confined only to the area as indicated in the bye laws duly approved by Registrar of Co-operative Societies

(b) This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the day on which it commences business/date following the receipt thereof.

Dated : 28 July 1998




(K.V. Subba Rao)
CHIEF OFFICER
Deputy General Manager